(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II)

No. I-14011/11/2017-IPS.I (III) Government of India / भारत सरकार Ministry of Home Affairs/ गृह मंत्रालय

New Delhi, the Aligust 2019

NOTIFICATION

Consequent upon inclusion of the name of Shri Rajan Bhagat at Sl No. 1A below the name of Shri Jagjeet Singh Deswal at Sl No. 01 and above the name of Shri Sharat Kumar Sinha at Sl No. 2 in the Select List 2013 in exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and the approval of the Union Public Service Commission on 21.08.2019 to the recommendations of the Review Selection Committee which met on 21.06.2019 to reconsider the name of Shri Rajan Bhagat for inclusion in the Select List of 2013 for appointment by promotion to (UT Segment) of Jt. AGMUT Cadre of IPS in compliance with the Order dated 24.12.2014 of the Hon'ble High Court of Delhi in W.P. No. 3626/2014 filed by Shri Rajan Bhagat, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulations 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Shri Rajan Bhagat (DoB: 02.04.1960) member of UT Police Service to Indian Police Service on probation and to allocate him to the Joint AGMUT Cadre of UT Segment under sub rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954.

- 2. The appointment will take effect from 15.07.2014 in continuation to this Ministry's Notification No. I.14011/4/2014-IPS.I (I) & (II) dated 15.07.2014. Further, the appointment of Shri Rajan Bhagat is subject to the final decision of the Govt. of India and Court orders if any, on the matter of interpolation.
- 3. The aforesaid officer will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

(Anant Kishore Saran)
Director (Police)
Tele No. 2309 3256

To,

The Manager, Government of India Press Minto Road, New Delhi- 22.

No. I-14011/11/2017-IPS.I(III)

New Delhi, the August, 2019

A copy each is forwarded to: -

- 1. The Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (UT Division), North Block, New Delhi (Kind Attn: Shri Rakesh Kumar Singh, Under Secretary) with 1 spare copy for concerned officer.
- 2. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi (Kind Attn. Shri Ashok Prasad, Under Secretary, AIS) for information.
- 3. The Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad- 500 052.
- 4. IPS-II, III, IV / IPS-ACR Cell / Civil List Seat / Seniority Seat.
- 5. 80 (IT) for placing on MHA IPS Portal (under head > IPS Cadre Management > Appointment by promotion of SPS officer > Appointment).

(Anant Kishore Saran)
Director (Police)

(भारत के राजपत्र, भाग।, खण्ड (।।), में प्रकाशनार्थ}

सं. आई–14011/11/2017–आईपीएस–1(III) भारत सरकार गृह मंत्रालय

र्थ है है है है है है नहीं नई दिल्ली, दिनांक अगस्त, 2019

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या (सी) 3626/2014 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2014 के आलोक में, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नित द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप—विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 21.08.2019 को चयन समिति की दिनांक 21.06.2019 की रिव्यू बैठक को अनुमोदित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरुप श्री राजन भगत को चयन सूची 2013 के कम संख्या 1ए पर जो श्री जगजीत सिंह देसवाल कम संख्या 01 और श्री शरत कुमार सिन्हा कम संख्या 2 के बीच में सम्मलित किए जाने के पश्चात, राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नित द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप—विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप—विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजन भगत (जन्मितिथः 02.04.1960) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप—विनियम (1) के अन्तर्गत युटी खण्ड के संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग प्रदान करते हैं।

- 2. यह नियुक्ति दिनांक 15.07.2014 को अधिसूचित की गई अधिसूचना संख्या आई—14011/4/2014—आईपीएस.1(II) दिनांक 15.07.2014 के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। इसके अलावा, श्री राजन भगत की नियुक्ति भारत सरकार के अंतिम निर्णय या कोर्ट के आदेशों का पालन करती है, के अध्यधीन होंगी।
- 3. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

31 न । (अन्नित किशोर सरन) निदेशक (पुलिस) दूरभाष: 2309 3256

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली. 22 ।

सं. आई–14011/11/2017–आईपीएस–1(III) नईदिल्ली, प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः **2** है <u>À || दिनांक</u> अगस्त, **20**19

- 1. संयुक्त सचिव, यूटी प्रभाग, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लाक, नई दिल्ली (ध्यानार्थः श्री राकेश कुमार सिंह, अवर सचिव, यूटीएस— एक)} को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की संबंधित अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति दे दी जाए।
- 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थः श्री अशोक प्रसाद, अवर सचिव, ए.आई.एस), धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ ।
- 3. निदेशक, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, **हैदराबाद** 500 052 सूचनार्थ ।
- 4. आई.पी.एस. II, III, IV / आई पी एस —ए.सी.आर. सेल / सिविल लिस्ट सीट।
- 5. अनुभाग अधिकारी (आई टी) प्रकोष्ठ, उपयुक्त अधिसूचना गृह मंत्रालय की (वेबसाइट > आईपीएस कैंडर मेनेजमेन्ट > नियुक्ति एसपीएस से आईपीएस > नियुक्ति) में प्रकाशित करने हेतु।

अन्में (अन्नत किशोर सरन) निदेशक (पुलिस)